न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0न0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
136 / 2021	20.09.2021	28.3.23

पीठासीन अधिकारी– हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1 श्रीमति निर्मला पुत्री गोपाल पत्नी राजेश कुमार जाति नाई निवासी सुहाना हाल निवास संगम रेस्टोरेन्ट की गली, कलालों के मन्दिर के पास, गुमानपुरा कोटा

(वादनी)

बनाम

1 शकुन्तला बेवा गोपाल

2 राजेश पुत्री गोपाल पत्नी शम्भूदयाल
जाति नाई निवासीगण महावीर नगर विस्तार योजना कोटा

3 राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से – श्री मायाराम स्वामी एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादनी की ओर से निम्न आधारो पर यह वाद पत्र पेश किया है कि:–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादनी व प्रतिवादी नं0 1–2 व भ्राता हरिओम के शामलाती खाते मे ग्राम सुहाना तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 714 रकबा 1.44 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 संलग्न है।

यह कि वादनी व प्रतिवादी नं0 2 के भ्राता व प्रतिवादी नं0 1 के पुत्र का नाम हरिओम शरण है किन्तु उक्त राजस्व रिकार्ड में उसका नाम केवल हरिओम दर्ज किया हुआ है। हरिओम को हरिओम शरण के नाम से जाना पहचाना जाता है।

यह कि हरिओम का देहावसान दिनांक 1.03.2021 को हो गया है। भ्राता हरिओम अविवाहित था उसके मृत्यु प्रमाण पत्र में उसका नाम हरिओम शरण पासवान दर्ज होने के कारण प्रतिवादी नं0 3 के पटवारी हल्का द्वारा इंतकाल नही खोला गया।

यह कि भ्राता हरिओम के वादनी व प्रतिवादी नं0 2 बहिन है व प्रतिवादी नं0 1 माता है तथा वारिसान व उत्तराधिकारी है तथा हरिओम के हिस्से की भूमि के खातेदार घोषित होने व हरिओम का नाम डिलीट कराने के अधिकारी है।

यह कि वादनी ने उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में से हरिओम का नाम हटा कर वादनी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 को 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित करने हेतु दिनांक 06.09.2021 को प्रतिवादी नं0 3 के कर्मचारी व पटवारी हल्का को कहा तो प्रतिवादी नं0 3 ने हरिओम का फोती इंतकाल वादनी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 के नाम खोलने से इन्कार कर दिया। इस कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ है। उपरोक्त परिस्थितियों में वादनी के लिये माननीय न्यायालय में खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती का वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश करना आवश्यक हो गया है।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादनी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावेः—

1— कि ग्राम सुहाना तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 714 रकबा 1.44 हेक्टर भूमि पर से हरिओम पुत्र गोपाल का नाम डिलीट किया जाकर वादनी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 को सम्पूर्ण भूमि में 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे।

वादनी की ओर से निम्न दस्तावेज संलग्न किये गये—

1— नकल जमाबन्दी ग्राम सुहाना की सम्वत 2075—2078

2— नकल छायाप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र हरिओम पुत्र गोपाल

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादी नं0 1 व 2 की तलबी जर्ये रजि0 एडी0 के सम्मन भेजकर करवायी गयी, प्रतिवादी क्रम 1 व 2 स्वय उपस्थित होकर आदेशिका में अपने हस्ताक्षर किये गये। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने हरिओम पुत्र गोपाल जो कि अविवाहित फोत हो गया को स्वीकार करते हुए हरिओम का नाम राजस्व रिकार्ड से डिलिट करने में कोई आपत्ति नहीं की है। तथा प्रतिवादी नं0 3 तहसीलदार दीगोद एवं तहसीलदार लाडपुरा (कोटा) से प्रकरण में वारिसान की जॉच रिपोर्ट प्राप्त की गयी जो शामिल मिसल की गयी। प्रकरण में साक्ष्य में निर्मला पुत्री गोपाल पत्नी राजेश कुमार जाति नाई निवासी सुहाना , रमेशचन्द्र पुत्र छीतरलाल जाति धोबी निवासी सुहाना, शकुन्तला बेवा गोपाल जाति नाई निवासी महावीर नगर विस्तार योजना कोटा एवं राजेश पुत्री गोपाल जाति नाई के शपथ पत्र लिये गये। तहसीलदार लाडपुरा की जांच रिपोर्ट अनुसार हरिओम अविवाहित था जो अविवाहित ही फौत हुआ है। वारिसान की जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि हरिओम के दो बहिन व माता है अन्य कोई वारिस नही है। वादी अधिवक्ता की साक्ष्य पूर्ण होने पर पत्रावली को बहस पर नियत किया गया।

प्रकरण को बहस पर नियत किया जाकर बहस वादनी के अधिवक्ता की सुनी गयी। पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात, राजस्व रिकार्ड , वारिसान रिपोर्ट, एवं वादीगण के अधिवक्ता की बहस का गहन अवलोकन करने पर विवादित आराजी में से मृतक हरिओम पुत्र गोपाल का नाम डिलिट किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादनी का वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम सुहाना तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 714 की रकबा 1.44 हेक्टर भूमि पर से हरिओम पुत्र गोपाल का नाम डिलिट किया जाकर वादनी को 1/4 व प्रतिवादी नं0 1 को 1/2 व प्रतिवादी नं0 2 को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.3.23 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)